प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 07.05.2025

कूटरचित आधार कार्ड एवं प्रवेश पत्र तैयार कर पुलिस आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वालों 04 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगाठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ द्वारा गैंग लीडर धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजदेव सिंह मौर्या निवासी पुराना हरिपुर थाना कोईलवर जनपद भोजपुर (आरा) बिहार व गैंग के 03 अन्य सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजदेव सिंह मौर्या निवासी पुराना हरिपुर थाना कोईलवर जनपद भोजपुर (आरा) बिहार अपने गिरोह के सदस्यगण 1.विवेक कुमार पुत्र स्व0 राधे श्याम निवासी केवटलिया पोस्ट सिहोरवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर हाल पता एल-1170 मंगोलपुरी जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली 2.सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी शिवपुर करमहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 3.विकास कुमार पुत्र मदन प्रसाद भगत निवासी खपूरा थाना पालीगंज जनपद पटना बिहार के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखधड़ी जालसाजी कूटरचना कर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उ0प्र0 पुलिस आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के दौरान अभियुक्त विवेक उपरोक्त द्वारा अपने मित्र अभियुक्त सोनू यादव उपरोक्त के माध्यम से अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त से सम्पर्क कर परीक्षा मे साल्वर बैठाने के नाम पर पैसों का लेन देन कर अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार उपरोक्त द्वारा सभी के साथ मिलकर कूटरचित आधार कार्ड एवं प्रवेश पत्र तैयार कर साल्वर के रूप में अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ कर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 077/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया। गैंग के सरगना व गैंग के 03 अन्य सदस्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 203/2025 धारा 2(ख)(I),(VIII),(XI),(XXV) व 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 203/2025 धारा 2(ख)(I),(VIII),(XI),(XXV) व 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1.विवेक कुमार पुत्र स्व0 राधे श्याम निवासी केवटलिया पोस्ट सिहोरवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर हाल पता एल-1170 मंगोलपुरी जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली

i.मु0अ0सं0 77/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

2.सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी शिवपुर करमहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

i.मु0अ0सं0077/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

3.विकास कुमार पुत्र मदन प्रसाद भगत निवासी खपूरा थाना पालीगंज जनपद पटना बिहार

i.मु0अ0सं0077/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

4. धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजदेव सिंह मौर्या निवासी पुराना हरिपुर थाना कोईलवर जनपद भोजपुर (आरा) बिहार (गैंग लीडर)

i.मु0अ0सं0077/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।